उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या- 04/2018/ 963/37-3-2018-5(30)/2017
लखनऊः दिनांकः 16 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित व्यक्तियों को उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान अधिनियम-2001 की निम्नलिखित धाराओं के अन्तर्गत मथुरा विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद में सदस्य के रूप में नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धारा-19(1)(छ) के अन्तर्गत

1- श्री जगमोहन गुप्ता, अध्यक्ष रूरल स्किल डेवलपमेंट फाउण्डेशन, निवासी-104, बी0डी0के0 हाउस, मथुरा नगर सेन्टर प्वाइंट, अलीगढ़। (मो-9891267870, 9690015081)

धारा-19(1)(झ) के अन्तर्गत

1- श्री सुनील कुमार शर्मा, महासचिव, श्रीमथुरा वृन्दावन हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट गौशाला कल्याण धाम, मसानी-दिल्ली मार्ग, सरस्वती कुण्ड, मथुरा। (मो-9412280508)

2- श्री सुनील सिंह, सचिव, माताजी गौशाला, बरसाना मान मंदिर सेवा संस्थान बरसाना, मथुरा। (मो-9927194000)

धारा-19(1)(त्र) के अन्तर्गत

1- डा0 अनिल कुमार गर्ग, पूर्व संयुक्त निदेशक (प्रसार शिक्षा) आई0वी0आर0आई0 इज्जतनगर, ए-1169 राजेन्द्रनगर, बरेली। (मो-9412192617)

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 04/2018/ 963 (1)/37-3-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- कुलपति, उ0प्र0 पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा को उनके पत्र संख्या-1115/वीसी-1/18, दिनांक 26-05-2018 के सन्दर्भ में।
3- संबंधित सदस्यगण।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com